# अपनी एनडीआईएस योजना बनाना

## कुल 3 पुस्तिकाओं में से पुस्तिका संख्या 2

### पढ़ने में आसान केवल पाठ संस्करण

Hindi | हिन्दी

## इस पुस्तिका का उपयोग कैसे करें

राष्ट्रीय विकलाँगता बीमा संस्था (National Disability Insurance Agency - NDIA) ने यह पुस्तिका तैयार की है। जब आपको 'हम' शब्द दिखाई देता है, तो इससे तात्पर्य NDIA (एनडीआईए) से है।

हमने इस पुस्तिका को पढ़ने में आसान तरीके से लिखा है।

हमने कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को **बोल्ड** में लिखा है।

इसका अर्थ है कि अक्षर मोटे और गहरे रंग के हैं।

हम इन बोल्ड शब्दों का अर्थ समझाते हैं।

पृष्ठ 36 पर इन शब्दों की एक सूची है।

यह पढ़ने में आसान पुस्तिका एक अन्य पुस्तिका का सारांश है।

इस पुस्तिका को पढ़ने के लिए आप मदद मांग सकते/सकती हैं। कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या सहायक व्यक्ति आपकी सहायता कर सकता है।

ऐसी कुल 3 पुस्तिकाएँ हैं, जो सभी साथ-मिलकर काम करती हैं।

पुस्तिका 1 यह समझाती है कि एनडीआईएस के लिए आवेदन कैसे करें।

पुस्तिका 2 यह समझाती है कि एनडीआईएस योजना कैसे बनाएँ।

पुस्तिका 3 यह समझाती है कि अपनी एनडीआईएस योजना का उपयोग कैसे करें।

यह पुस्तिका 2 है।

आपको इस पुस्तिका को एक ही बार में पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

आप अपना समय लेकर अपने लिए उचित गति से इसे पढ़ सकते/सकती हैं।

## इस दस्तावेज में क्या शामिल है?

[एनडीआईएस योजना क्या होती है? 4](#_Toc118588221)

[आप योजना कैसे बनाते/बनाती हैं? 5](#_Toc118588222)

[आपकी योजना बातचीत से पहले क्या होता है? 6](#_Toc118588223)

[अपनी योजना बनाने की बातचीत के लिए तैयारी करना 8](#_Toc118588224)

[आपके बारे में जानकारी 10](#_Toc118588225)

[आप अपने निधीकरण का प्रबंध कैसे करना चाहते/चाहती हैं? 27](#_Toc118588226)

[आपकी योजना की बातचीत के बाद क्या होता है? 30](#_Toc118588227)

[myplace का उपयोग कैसे करें। 31](#_Toc118588228)

[यदि आप अपनी योजना में शामिल बातों से सहमत नहीं हैं, तो क्या? 32](#_Toc118588229)

[और अधिक जानकारी 34](#_Toc118588230)

[शब्द सूची 36](#_Toc118588231)

## एनडीआईएस योजना क्या होती है?

**एनडीआईएस योजना** एक दस्तावेज है, जिसमें इस बारे में जानकारी शामिल होती है:

* आप और आपके लक्ष्य
* आपकी आवश्यकता के समर्थन
* एनडीआईएस किन समर्थनों के लिए भुगतान करेगी।

इस पुस्तिका में हम इसे योजना कहते हैं।

## आप योजना कैसे बनाते/बनाती हैं?

जब विकलांगता-ग्रस्त लोग एनडीआईएस में शामिल होते हैं, तो हम उन्हें **प्रतिभागी** कहते हैं।

आपके प्रतिभागी बन जाने पर हम आपको एक एनडीआईएस योजना बनाने में सहायता देते हैं।

योजना बनाने से पहले हर किसी को योजना के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है।

योजना के बारे में चर्चा करने से हमें:

* आपके बारे में
* और अभी आपके जीवन में क्या हो रहा है, इसके बारे में पता चलेगा।

आपकी योजना बनाते समय हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन से समर्थन आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सहायता दे सकते हैं।

और यदि आवश्यकता हो, तो हम आपके समर्थनों के बारे में आपसे और अधिक जानकारी पूछ सकते हैं।

हम आपकी योजना बनाने के लिए इस योजना बातचीत में मिली जानकारी का उपयोग करते हैं।

आपकी योजना बनाने की प्रक्रिया समाप्त कर लेने के बाद हम इसे **अनुमोदित** करेंगे।

इसका अर्थ है कि हम आपकी योजना में शामिल सभी बातों से सहमत हैं।

हम इसे आपको भी भेजेंगे।

आप अपनी योजना के बारे में निर्णय लेते समय अन्य लोगों से आपको समर्थन देने के लिए पूछ सकते/सकती हैं।

उदाहरण के लिए, परिवार का कोई सदस्य या मित्र।

## आपकी योजना बातचीत से पहले क्या होता है?

आपने एनडीआईएस में शामिल होने का आवेदन करते समय हमें जो जानकारी दी थी, हम उस सभी जानकारी की जांच करेंगे।

इसमें इन स्रोतों से प्राप्त सभी जानकारी शामिल है:

* आपके डॉक्टर या अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मी
* आपके द्वारा सम्भवत: उपयोग की जाने वाली सेवाएँ।

इसमें हमारे पास निहित यह जानकारी भी शामिल है कि आपको किन समर्थनों की आवश्यकता है।

हम यह तय करने के लिए आपसे संपर्क कर सकते हैं कि आप कब अपनी योजना के बारे में बातचीत करना चाहते/चाहती हैं।

एक **स्थानीय क्षेत्र समन्वयक (लोकल एरिया कॉर्डिनेटर)** आपसे संपर्क कर सकता है।

यह ऐसा व्यक्ति होता है, जो विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समर्थनों की खोज और उनका उपयोग करने में सहायता देता है।

एक **आरंभिक बचपन भागीदार (एर्ली चाइल्डहुड पार्टनर)** आपसे संपर्क कर सकता है।

यह ऐसा व्यक्ति होता है, जो विकलांगता-ग्रस्त बच्चों और उनके परिवारों को समर्थनों की खोज और उनका उपयोग करने में सहायता देता है।

या कोई **एनडीआईए योजनाकार (प्लैनर)** आपसे संपर्क कर सकता है।

यह ऐसा व्यक्ति होता है, जो नई योजनाएँ बनाता है।

हम आपसे पूछेंगे कि आप किस प्रकार से अपनी योजना की चर्चा करना चाहते/चाहती हैं।

उदाहरण के लिए, आप हमें बता सकते/सकती हैं कि:

* हमें योजना बनाने की बातचीत कहाँ करनी चाहिए
* आप योजना बनाने की बातचीत कैसे करना चाहते/चाहती हैं।

### आपके आरंभिक बचपन भागीदार, स्थानीय क्षेत्र समन्वयक या एनडीआईए योजनाकार के संपर्क विवरण

|  |  |
| --- | --- |
| नाम |  |
| फोन नंबर |  |
| ईमेल पता |  |
| कार्यालय का पता |  |

## अपनी योजना चर्चा के लिए तैयारी करना

### आपके द्वारा अपनी योजना बनाने की बातचीत में हम किस बारे में बात करेंगे?

हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि आप:

* अभी क्या कर रहे/रही हैं
* भविष्य में क्या करने के इच्छुक हो सकते/सकती हैं।

हम आपसे इन बातों के बारे में प्रश्न पूछेंगे:

* आपके लक्ष्य
* आप कहाँ रहते/रहती हैं और किसके साथ रहते/रहती हैं।

हम आपसे इन बातों के बारे में भी प्रश्न पूछेंगे कि:

* आपके पास अभी कौन से समर्थन हैं
* आपको मौज-मस्ती के लिए क्या पसंद है।

हम आपसे ये प्रश्न भी पूछेंगे कि आपको कौन से समर्थनों की आवश्यकता है, ताकि आप:

* अपनी कुशलताएँ विकसित कर सकें
* खुद से और भी अधिक काम-काज कर सकें।

आप अपनी योजना के बारे में बातचीत की तैयारी करने में सहायता के लिए इस पुस्तिका का उपयोग कर सकते/सकती हैं।

हमारे पास ऐसे प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आप तैयारी में अपनी सहायता के लिए दे सकते/सकती हैं।

अपने उत्तरों को साझा करने के लिए इस पुस्तिका के अंत में आपके लिए चौखाने दिए गए हैं।

आपके द्वारा साझा की जाने वाली सभी जानकारी हमें आपकी योजना बनाने में सहायता देगी।

हम आपकी सभी जानकारी को:

* सुरक्षित
* और गोपनीय रखेंगे।

### आपको अपने साथ क्या लाने की आवश्यकता है?

जब आप योजना चर्चा के लिए आएँ, तो कृपया अपने साथ इन्हें लाएँ:

* यह पुस्तिका
* अपनी पहचान का प्रमाण, जैसे ड्राइवर्स लाइसेंस या पासपोर्ट
* आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी एड्स (सहायक साधनों) या उपकरणों की सूची
* आपका myGov लॉगिन और पासवर्ड
* अपने बैंक खाते की जानकारी
* अपने डॉक्टरों या स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों द्वारा दी गई सभी जानकारी।

### आपके साथ कौन आ सकता है?

योजना चर्चा में आप खुद आ सकते/सकती हैं।

या आप अपने साथ इन्हें ला सकते/सकती हैं:

* परिवार का सदस्य या दोस्त
* पक्ष-समर्थक - विकलांगता-ग्रस्त लोगों के लिए आवाज उठाने वाला कोई व्यक्ति।

## आपके बारे में जानकारी

हम आपके बारे में और अधिक जानना चाहते/चाहती हैं।

इससे हमें आपकी योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

आपका नाम क्या है?

|  |
| --- |
|  |

आपकी जन्म तिथि क्या है?

|  |
| --- |
|  |

आपकी एनडीआईएस प्रतिभागी संख्या क्या है?

आपको उस पत्र में यह संख्या मिल सकती है:

* जो हमने आपको भेजा है
* जिसमें बताया गया है कि आप एनडीआईएस में शामिल हो सकते/सकती हैं।

|  |
| --- |
|  |

आप किस प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त हैं?

|  |
| --- |
|  |

आपकी विकलांगता आपके दिन-प्रतिदिन के जीवन को कैसे प्रभावित करती है?

उदाहरण के लिए, क्या आपको इन गतिविधियों में समर्थन की आवश्यकता है:

* इधर-उधर आना-जाना?
* दिन-प्रतिदिन के काम-काज करना, जैसे खाना पकाना?

|  |
| --- |
|  |

हम आपके बारे में और बातें भी जानना चाहते हैं।

आपके लिए कौन से लोग या कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं?

आप कहाँ रहते/रहती हैं?

आपको क्या करना पसंद है?

क्या आपके पास रोजगार है या क्या आप नौकरी करते/करती हैं?

|  |
| --- |
|  |

हम जानना चाहते हैं कि आप हरेक सप्ताह किन समर्थनों का उपयोग करते/करती हैं।

इसमें इन स्रोतों से प्राप्त समर्थन शामिल हैं:

* समुदाय
* सरकार।

आपके उत्तर हमें यह समझने में सहायता देंगे कि:

* आप अभी किन समर्थनों का उपयोग करते/करती हैं
* आपको भविष्य में किन समर्थनों की आवश्यकता हो सकती है।

#### आप अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में क्या करते/करती हैं?

ये काम करने के लिए आपके पास क्या समर्थन हैं?

##### सोमवार

|  |
| --- |
|  |

##### मंगलवार

|  |
| --- |
|  |

##### बुधवार

|  |
| --- |
|  |

##### गुरुवार

|  |
| --- |
|  |

##### शुक्रवार

|  |
| --- |
|  |

##### सप्ताहांत

|  |
| --- |
|  |

#### आप कौन से अन्य समर्थनों का उपयोग करते/करती हैं?

क्या आप अन्य समर्थनों का उपयोग करते/करती हैं:

* हरेक 2 सप्ताहों में?
* हरेक महीने?
* कभी-कभी?

|  |
| --- |
|  |

#### क्या आप हरेक दिन अपनी इच्छा के काम-काज करने में समर्थनकारी तकनीकी का उपयोग करते/करती हैं?

**समर्थनकारी तकनीकी**:

* काम-काज करना आसान बना सकती है
* आपको सुरक्षित रख सकती है।

समर्थनकारी तकनीकी:

* एक सहायक एड (साधन) या उपकरण हो सकती है
* उपयोग करने के लिए एक प्रणाली हो सकती है।

|  |
| --- |
|  |

#### क्या आपको दिन-प्रतिदिन के काम-काज करने में समर्थन की आवश्यकता है?

घर पर और जीवन जीने के समर्थन इन बातों में आपकी सहायता कर सकते हैं:

* अपने लिए काम-काज करना
* नई कुशलताएँ सीखना

|  |
| --- |
|  |

### आपके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति

हम आपके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में और अधिक जानना चाहते/चाहती हैं।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

* परिवार के सदस्य
* दोस्त।

या वे आपकी परवाह करने वाले अन्य व्यक्ति हो सकते हैं।

#### आपके जीवन में कौन से व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं?

##### व्यक्ति 1

नाम

|  |
| --- |
|  |

आपके साथ उनका संबंध

|  |
| --- |
|  |

वे आपके जीवन में किस प्रकार से शामिल हैं

|  |
| --- |
|  |

##### व्यक्ति 2

नाम

|  |
| --- |
|  |

आपके साथ उनका संबंध

|  |
| --- |
|  |

वे आपके जीवन में किस प्रकार से शामिल हैं

|  |
| --- |
|  |

##### व्यक्ति 3

नाम

|  |
| --- |
|  |

आपके साथ उनका संबंध

|  |
| --- |
|  |

वे आपके जीवन में किस प्रकार से शामिल हैं

|  |
| --- |
|  |

##### व्यक्ति 4

नाम

|  |
| --- |
|  |

आपके साथ उनका संबंध

|  |
| --- |
|  |

वे आपके जीवन में किस प्रकार से शामिल हैं

|  |
| --- |
|  |

##### व्यक्ति 5

नाम

|  |
| --- |
|  |

आपके साथ उनका संबंध

|  |
| --- |
|  |

वे आपके जीवन में किस प्रकार से शामिल हैं

|  |
| --- |
|  |

##### व्यक्ति 6

नाम

|  |
| --- |
|  |

आपके साथ उनका संबंध

|  |
| --- |
|  |

वे आपके जीवन में किस प्रकार से शामिल हैं

|  |
| --- |
|  |

### आपके लक्ष्यों के बारे में जानकारी

आपके पास:

* छोटी अवधि के लक्ष्य हो सकते हैं - जिन्हें आप सामान्य रूप से एक वर्ष में हासिल कर सकते/सकती हैं
* लंबी अवधि के लक्ष्य हो सकते हैं - जिन्हें हासिल करने में कुछ अधिक समय लगता है।

दोनों प्रकार के लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं।

आप हमारे साथ जो लक्ष्य साझा करते/करती हैं, उनसे हमें यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि आपकी योजना:

* आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है
* आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने में सहायता देगी।

अपने लक्ष्यों की योजना बनाते समय इन बातों के बारे में सोचें:

* आपको क्या करना पसंद है
* आप क्या बदलना चाहते/चाहती हैं
* आप क्या आजमाना चाहते/चाहती हैं।

#### छोटी अवधि के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं?

ऐसी कौन सी बातें हैं, जिनकी ओर आप अगले 12 महीनों में काम कर सकते/सकती हैं?

उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य यह सीखना हो सकता है कि जनपरिवहन का उपयोग खुद कैसे करें।

|  |
| --- |
|  |

#### लंबी अवधि के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं?

ऐसी कौन सी बातें हैं, जिनकी ओर आप भविष्य में काम कर सकते/सकती हैं?

उदाहरण के लिए, आपका लक्ष्य हो सकता है कि आप अपना घर छोड़कर किसी दोस्त के साथ रहें।

|  |
| --- |
|  |

### अन्य जानकारी, जो हम जानना चाहते हैं

#### क्या आपको कभी मुआवज़ा मिला है?

यदि आपकी विकलांगता किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, तो आपको संभावित रूप से प्राप्त होने वाला पैसा **मुआवज़ा होता है**।

आपको मुआवज़ा मिलने के समय से लेकर:

* क्या कुछ बदल गया है?
* क्या आपने और अधिक मुआवज़ा प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है?

|  |
| --- |
|  |

#### आप हमें और क्या बताना चाहेंगे/चाहेंगी?

क्या आप अपने जीवन के किसी और हिस्से के बारे में हमें बताना चाहते/चाहती हैं?

क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते/चाहती हैं?

|  |
| --- |
|  |

### योजना चर्चा के नोट्स

अपनी योजना चर्चा में आपने जिन विषयों पर बात की थी, आप उनके नोट्स ले सकते/सकती हैं।

|  |
| --- |
|  |

## आप अपने निधीकरण का प्रबंध कैसे करना चाहते/चाहती हैं?

**निधीकरण** सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा होता है, जिससे समर्थन और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है।

अपने निधीकरण का प्रबंध करने के 3 अलग-अलग तरीके हैं।

आप इनका चयन कर सकते/सकती हैं:

* इनमें से किसी एक विकल्प का
* इन विकल्पों के संयोजन का।

### जब आप आत्म-प्रबंधन (सेल्फ-मैनेज) करते/करती हैं, तो क्या होता है?

जब आप आत्म-प्रबंधन करते/करती हैं, तो आप अपनी योजना का खुद प्रबंधन करने का चयन करते/करती हैं।

इसमें अपने निधीकरण का प्रबंधन करना शामिल है।

जब आप आत्म-प्रबंधन करते/करती हैं, तो आप अपने निधीकरण को खुद नियंत्रित करेंगे/करेंगी।

और आप तय करेंगे/करेंगी कि:

* आपके पास कौन से समर्थन होंगे
* इन समर्थनों को कौन उपलब्ध कराता है
* ये समर्थन कैसे उपलब्ध कराए जाते हैं।

जब आप आत्म-प्रबंधन करते/करती हैं, तो आप ये काम भी कर सकते/सकती हैं:

* आपको समर्थन देने के लिए लोगों को काम पर रखना
* किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन लोगों को काम पर रखा जाना।

और आप यह गणना कर सकते/सकती हैं कि आपके समर्थनों की क्या लागत होगी।

इसका अर्थ है कि आप यह सुनिश्चित कर सकते/सकती हैं कि आपके समर्थन पैसा वसूली वाले हैं।

### यदि आप एक योजना प्रबंधक (प्लेन मैनेजर) का उपयोग करते/करती हैं, तो क्या होता है?

आप एक योजना प्रबंधक रखने का चयन कर सकते/सकती हैं।

इसका अर्थ है कि आप अपने निधीकरण के प्रबंध में अपने समर्थन के लिए किसी को काम पर रखते/रखती हैं।

आपका योजना प्रबंधक:

* आपकी आवश्यकता के समर्थनों के लिए भुगतान करेगा
* आपके निधीकरण का ध्यान रखने में आपको सहायता देगा
* आप अपने निधीकरण को कैसे खर्च करते/करती हैं, इसका रिकॉर्ड बनाकर रखेगा।

आप अपने निधीकरण में से अपने योजना प्रबंधक को भुगतान करते/करती हैं।

और यह अनिवार्य है कि **वे एक एनडीआईएस पंजीकृत प्रदाता** हों।

एक एनडीआईएस पंजीकृत प्रदाता:

* प्रतिभागियों के लिए कुछ विशिष्ट समर्थन और सेवाएँ प्रस्तुत कर सकता है
* ऐसी सूची में होता है, जिसका हम ध्यान रखते हैं
* हमारे द्वारा निर्धारित किए गए कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करता है।

### यदि आपके निधीकरण का प्रबंधन एनडीआईए करती है, तो क्या होता है?

आप एनडीआईए द्वारा अपने निधीकरण का प्रबंध किए जाने का विकल्प चुन सकते/सकती हैं।

हम आपके द्वारा चुने गए समर्थनों के लिए भुगतान करेंगे।

जब आपकी योजना का प्रबंध एनडीआईए करती है, तो आपके लिए एनडीआईएस पंजीकृत प्रदाताओं का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

आप अपने निधीकरण को यहाँ ट्रैक कर सकते/सकती हैं:

* myplace पोर्टल पर
* NDIA ऐप पर।

## आपकी योजना चर्चा के बाद क्या होता है?

### एक अनुमोदित योजना प्राप्त करना

आपकी योजना मुलाकात के बाद हम तय करेंगे कि आपकी योजना को अनुमोदित करना है या नहीं।

आपकी योजना मुलाकात के अंत में हम आपको बताएँगे कि:

* अगले कदम क्या हैं
* आपकी अनुमोदित योजना को प्राप्त करने में कितना समय लगेगा।

### जब हम आपकी योजना को अनुमोदित कर देते हैं

एक बार जब हम आपकी योजना को अनुमोदित कर देते हैं, तो हम आपको 7 दिनों के अंदर इसकी एक प्रति भेजेंगे।

हम आपकी योजना की एक प्रति को यहाँ पर भी साझा करेंगे:

* myplace पोर्टल पर
* NDIS ऐप पर।

हमने अगले पृष्ठों पर समझाया है कि myplace पोर्टल का उपयोग कैसे करें।

## myplace का उपयोग कैसे करें

Myplace का उपयोग करने के लिए आपके पास एक **myGov** खाता होना चाहिए।

myGov एक वेबसाइट है, जो इन्हें लिंक करती है:

* कर (टैक्स) से संबंधित आपकी जानकारी
* चिकित्सा से संबंधित आपकी जानकारी।

यह आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य सरकारी सेवाओं को भी लिंक करती है।

आप myGov वेबसाइट पर जाकर:

* अपने खाते में लॉग इन कर सकते/सकती हैं
* एक खाता बना सकते/सकती हैं।

[www.my.gov.au](http://www.my.gov.au)

### यदि आपको समर्थन चाहिए, तो क्या होगा?

आपको ये काम करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है:

* अपना myGov खाता बनाना
* एनडीआईएस myplace पोर्टल का उपयोग करना।

आप अनेक लोगों से संपर्क कर सकते/सकती हैं, जैसे:

* आपका आरंभिक बचपन भागीदार
* आपका स्थानीय क्षेत्र समन्वयक
* एनडीआईए।

आप myGov हेल्पडेस्क को भी कॉल कर सकते/सकती हैं।

**13 23 07**

## यदि आप अपनी योजना में शामिल बातों से सहमत नहीं हैं, तो क्या होगा?

आप हमसे अपनी योजना बदलने के लिए कह सकते/सकती हैं, यदि आप:

* अपनी योजना से खुश नहीं हैं
* अपनी योजना में शामिल लक्ष्यों से सहमत नहीं हैं।

आप एनडीआईए से **आंतरिक समीक्षा** करने के लिए भी निवेदन कर सकते/सकती हैं।

एक आंतरिक समीक्षा में हम यह देखने के लिए आपकी योजना की जांच करते हैं कि क्या:

* यह अच्छी तरह से काम कर रही है
* इसे बेहतर बनाया जा सकता है।

आप इनसे संपर्क कर सकते/सकती हैं:

* आरंभिक बचपन भागीदार।
* स्थानीय क्षेत्र समन्वयक

या

* आपका एनडीआईए योजनाकार।

वे आपको समझा सकते हैं कि आंतरिक समीक्षा के लिए कैसे निवेदन करना है।

यदि आप एक पक्ष-समर्थक प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं,  तो वे आपको इसकी खोज करने में भी सहायता दे सकते हैं।

आपको अपनी योजना प्राप्त करने के 3 महीनों के अंदर आंतरिक समीक्षा के लिए निवेदन करना होगा।

यदि आप हमारी आंतरिक समीक्षा से सहमत नहीं हैं, तो आप **Administrative Appeals Tribunal (AAT) [प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण (एएटी)]** से निर्णय की समीक्षा करने के लिए कह सकते/सकती हैं।

एएटी (AAT) सरकारी निर्णयों की समीक्षा करता है।

आप एएटी (AAT) से उनकी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।  
[www.aat.gov.au](http://www.aat.gov.au)

## और अधिक जानकारी

इस पुस्तिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं।

आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते/सकती हैं।  
[www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au)

आप हमें कॉल कर सकते/सकती हैं।  
1800 800 110

आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते/सकती हैं।  
[www.facebook.com/NDISAus](http://www.facebook.com/NDISAus)

आप हमें ट्विट्टर पर फॉलो कर सकते/सकती हैं।   
@NDIS

### हमसे बात करने के लिए समर्थन

आप हमारी वेबसाइट की ऊपरी तरफ हमारी वेबचैट सुविधा का उपयोग करके हमसे ऑनलाइन बात कर सकते/सकती हैं।  
[www.ndis.gov.au](http://www.ndis.gov.au)

यदि आप अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा का उपयोग करते/करती हैं, तो आप अनुवाद और दुभाषिया सेवा (टीआईएस) [Translating and Interpreting Service (TIS)] को कॉल कर सकते/सकती हैं।  
131 450

यदि आपकी बोलने या सुनने की क्षमता में खामी है, तो आप इन्हें कॉल कर सकते/सकती हैं:

* टीटीवाई  
  1800 555 677
* स्पीक एंड लिसन  
  1800 555 727
* राष्ट्रीय रिले सेवा  
  133 677  
  [www.relayservice.gov.au](http://www.relayservice.gov.au)

## शब्द सूची

यह सूची समझाती है कि इस दस्तावेज़ में **बोल्ड** शब्दों का क्या अर्थ है।

**Administrative Appeals Tribunal (AAT) [प्रशासनिक अपील न्यायाधिकरण (एएटी)]**

एएटी (AAT) सरकारी निर्णयों की समीक्षा करता है।

**अनुमोदन**

जब हम किसी योजना का अनुमोदन करते हैं, तो हम आपकी योजना में हरेक बात से सहमत होते हैं।

**समर्थनकारी तकनीकी:**

समर्थनकारी तकनीकी:

* काम-काज करना आसान बना सकती है
* आपको सुरक्षित रख सकती है।

समर्थनकारी तकनीकी:

* एक सहायक एड (साधन) या उपकरण हो सकती है
* उपयोग करने के लिए एक प्रणाली हो सकती है।

**मुआवज़ा**

यदि आपकी विकलांगता किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, तो आपको संभावित रूप से प्राप्त होने वाला पैसा मुआवज़ा होता है।

**आरंभिक बचपन भागीदार**

आरंभिक बचपन भागीदार वह व्यक्ति होता है, जो विकलांगता-ग्रस्त बच्चों और उनके परिवारों को समर्थनों की खोज और उनका उपयोग करने में सहायता देता है।

**निधीकरण**

निधीकरण सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा होता है, जिससे समर्थन और सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है।

**आंतरिक समीक्षा**

आंतरिक समीक्षा में हम यह देखने के लिए आपकी योजना की जांच करते हैं कि क्या:

* यह अच्छी तरह से काम कर रही है
* इसे बेहतर बनाया जा सकता है।

**आपका स्थानीय क्षेत्र समन्वयक**

स्थानीय क्षेत्र समन्वयक वह व्यक्ति होता है, जो विकलांगता-ग्रस्त लोगों को समर्थन की खोज और उनका उपयोग करने में सहायता देता है।

**myGov**

myGov एक वेबसाइट है, जो इन्हें लिंक करती है:

* कर (टैक्स) से संबंधित आपकी जानकारी
* चिकित्सा से संबंधित आपकी जानकारी
* आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली अन्य सरकारी सेवाएँ।

**एनडीआईए योजनाकार**

एनडीआईए योजनाकार वह व्यक्ति होता है, जो नई योजनाएँ बनाता है।

**एनडीआईएस योजना**

एनडीआईएस योजना एक दस्तावेज है, जिसमें इस बारे में जानकारी शामिल होती है:

* आप और आपके लक्ष्य
* आपकी आवश्यकता के समर्थन
* एनडीआईएस किन समर्थनों के लिए भुगतान करेगी।

**एनडीआईएस पंजीकृत प्रदाता**

एनडीआईएस पंजीकृत प्रदाता:

* प्रतिभागियों के लिए कुछ विशिष्ट समर्थन और सेवाएँ प्रस्तुत कर सकता है
* ऐसी सूची में होता है, जिसका हम ध्यान रखते हैं
* हमारे द्वारा निर्धारित किए गए कुछ नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करता है।

**प्रतिभागी**

जब विकलांगता-ग्रस्त लोग एनडीआईएस में शामिल होते हैं, तो हम उन्हें प्रतिभागी कहते हैं।

जानकारी सुलभता समूह (Information Access Group) ने यह पढ़ने में आसान केवल-पाठ दस्तावेज बनाया है। इस दस्तावेज के बारे में किसी भी पूछताछ के लिए कृपया [**www.informationaccessgroup.com**](http://www.informationaccessgroup.com) पर जाएं। कार्य सँख्या 4847 का संदर्भ दें।

DA0669 Hindi (LOTE) Booklet: 2 Creating your NDIS plan Oct 2022